

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- लेखा-13()/निरी.प्रति./2018/ 6552


दिनांक : 20/02/2018

1. निजी सहायक, निदेशक(जनस्वास्थ्य/प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय/बजट/आं0जां0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी(मुख्यालय/बजट/आं0जां0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जो
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
8. समस्त कुष्ठ रोग अधिकारी, राजस्थान।
09. प्रभारी समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राज
10. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, टी0बी0 वि
11. प्रभारी समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।

विषय :- विभिन्न कार्यालयों द्वारा राजस्व/शुल्क मांग पत्रों, आदेशों एवं निर्णयों में महालेखाकार कार्यालय के आक्षेपों का संदर्भ नहीं दिये जाने के संबंध में।
प्रसंग :- वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग, जयपुर प 4 (5) वित्त/अंकेक्षण/2012
दिनांक : 01 दिसम्बर 2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र से महालेखाकार कार्यालय ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा लेखापरीक्षा का कार्य संवैधानिक दायित्वों के अधीन संबंधित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में कार्यप्रक्रिया की त्रुटि, नियमों की अवहेलना आदि के कारण आक्षेप गठित किया जाता है। इन आक्षेपों का परीक्षण कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर पर विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और यदि विभाग महालेखाकार की आपत्ति से सहमत हैं, तो बसूली आदि के लिए जारी किया जाने वाले मांग पत्र में महालेखाकार के आक्षेपों को संदर्भित करते हुए मांग पत्र, आदेश एवं निर्णय जारी करने के स्थान पर संबंधित त्रुटि, नियम/ उप नियम का स्पष्ट उल्लेख दिये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस पत्र के साथ संदर्भित पत्र की छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त आदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करायें।



वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक लेखा-13()/निरी.प्रति./2018/ 6552

दिनांक 20/02/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. लेखाधिकारी (ऑडिट/मुख्यालय)/समस्त सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।


वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।